न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 82/2022 (2022/236)

1. सत्यनारायण पुत्र स्व. मोडूलाल जाति सोनी
2. बलराम पुत्र स्व. मोडूलाल जाति सोनी
3. ज्ञानप्रकाश पुत्र स्व. मोडूलाल जाति सोनी
4. रामलाल पुत्र स्व. मोडूलाल जाति सोनी

निवासीगण आदर्श कॉलोनी जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

––वादी

बनाम

1. गोपी पुत्र चर्तुर्भुज जाति जाट
2. नोसर पुत्री चर्तुर्भुज जाति जाट
3. परमा पुत्री चर्तुर्भुज जाति जाट
4. नाथु पुत्र बन्ना जाति जाट
5. प्रेम पत्नि बन्ना जाति जाट
6. जगदीश पुत्र लादू जाति जाट
7. पन्ना पुत्र लादू जाति जाट
8. प्रधान पुत्र लादू जाति जाट
9. बद्री पुत्र लादू जाति जाट
10. रामकुंवारी पत्नि लादू जाति जाट
11. रामेश्वर पुत्र लादू जाति जाट
12. रोडू पुत्र लादू जाति जाट
13. लाडा पुत्री लादू जाति जाट

    निवासीगण नायकी तहसील केकडी जिला अजमेर।

14. मंजूदेवी पत्नि शिवप्रसाद मॉगधडा जाति महाजन निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
15. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय केकडी जिला अजमेर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

––प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री नवल किशोर पारीक–वकील वादीगण
2. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह– वकील प्रतिवादी 1 से 13
3. श्री शिवप्रसाद पाराशर–वकील प्रतिवादी संख्या 14

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,92ए,209 राज.काश्तकारी अधिनियम</u>

–:: निर्णय ::–

दिनांक 28.9.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया ,कि ग्राम नायकी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 168–279 के खसरा संख्या 444, 445, 448 रकबा 0.15, 0.16, 0.83हैक्टर कुल किता 3, कुल रकबा 1.14हैक्टर का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 18.7.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार हैः–

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	ज्ञानप्रकाश पिता मोडूलाल बलराम पिता मोडुलाल रामलाल, सत्यनारायण पिता मोडूलाल कौम सोनी सा.देह खातेदार	448/3 444/2 445/1 448/5	0.35 0.074 0.086 0.082	
		किता 4	रकबा 0.592	
2	ज्ञानप्रकाश बलराम रामलाल, सत्यानाराया पिता मोडूलाल हिस्सा 7/12 मंजू देवी पत्नि शिवप्रसाद मांगधणा 1/12 जगदीश, प्रधान, रामेश्वर लाडा पिता लादू 1/6 गोपी नोसर परमा पिता चतुर्भुज हिस्सा 1/16 नाथु पुत्र बन्ना प्रेम पत्नि बन्ना हिस्सा 1/48 राहिन आई.सी.आई.सी.आई केकडी पन्ना बद्री रोडू पिता लादू रामकुंवरी पत्नि लादू हिस्सा 1/12 कौम जाति सा.देह खातेदार	448/2	0.028	
		किता 1	रकबा 0.028	
3	मंजू देवी पत्नि शिवप्रसाद मांगधणा सा.केकडी	445/2 448/6	0.054 0.027	
		किता 2	रकबा 0.0810	
4	जगदीश प्रधान रामेश्वर लाऊ पिता लादू हिस्सा 1/2 गोपी नोसर परमा पिता चतुर्भुज हिस्सा 3/16 नाथु पुत्र बन्ना प्रेम पत्नि बन्ना हिस्सा 1/16 राहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक केकडी पन्ना बद्री रोडू पुत्र लादू रामकुंवरी पत्नि लादू कौम जाट सा.देह खातेदार	448/1 444/1 448/4 445/3 448/7	0.04 0.076 0.057 0.020 0.146	
		किता 5	रकबा 0.439	
मौके पर काबिज के अनुसार पी.डी तैयार कि गई।				

न्यायालय में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 की ओर से **आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव** पेश किया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही कर बहस हेतु निवेदन किया। **बहस में प्रतिवादीगण अधिवक्ता** द्वारा बताया बंटवारा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त गया था परन्तु उक्त बटंवारा प्रस्ताव तहसीलदार केकडी द्वारा न बनाकर गिरदावर हल्का द्वारा बनाया गया तथा प्रतिवादीगण को बिना सुने एवं वादीगण की अनुपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव बनाया गया। बंटवारा प्रस्ताव में खसरा संख्या 448 में रास्ता बना हुआ को दर्शित नही किया को शामलाती गलत दर्ज किया है गै.मु.रास्ता दर्ज होना चाहिए। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 ने बताया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव हिस्से अनुसार नही बनाये। अतः दिनांक 14.9.2022 गैर कानूनी होने से एवम् तहसीलदार द्वारा नही बनाया गया न ही मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित थे प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में उद्वरण 2018 RBJ 676 Rameshwar v/s Bimla &Ors प्रस्तुत कर बताया कि हल्का पटवारी व नायक तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के आधार पर पारित अन्तिम डिक्री गैर कानूनी है विवादित भूमि के बाबत् तहसीलदार स्वंय भूमि पर जाकर प्रस्ताव तैयार करेगा। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र वास्ते बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर पुनः बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार की मौजूदगी में कराने का निवेदन किया। **बहस में वादीगण अधिवक्ता** अपने पक्ष के समर्थन में बताया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 द्वारा ऐसी कोई भांग नही की जाकर मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया गया है। वादीगण अधिवक्ता ने बताया कि **तहसीलदार केकडी** द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अलग–अलग रंगो से चिन्हित किया गया है। प्रतिवादीगण में से जगदीश पिता लादू जाट, बद्री पिता लादू जाट, नाथू पिता वन्ना जाट उपस्थित रहे वाकि प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। पूर्व में दिनांक 29.8.2022 व 14.9.2022 को भी मौके पर उपस्थित रहने बाबत् नोटिस किया गया था परन्तु बावजुद नोटिस तामिली अनुपस्थित रहे। वादी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

ा ने बहस में बताया कि खसरा नंबर 448/2 रकबा 0.028हैक्टर में मौके पर रास्ता है वादी एवं प्रतिवादी
 खेत पीछे होने से उक्त खसरा नंबर 448/2 को शामलाती भूमि की गई है।
कील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादीगण तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव से
र बंटवारा हेतु सहमत है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा व का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र को ज करते हुए। तहसीलदार केकडी द्वारा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव नुसार स्वीकार किया जाता है:–

	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकवा	किस्म
	ज्ञानप्रकाश पिता मोडूलाल बलराम पिता मोडूलाल रामलाल, सत्यनारायण पिता मोडूलाल कौम सोनी सा.देह खातेदार	448/3 444/2 445/1 448/5	0.35 0.074 0.086 0.082	
		किता 4	रकवा 0.592	
	ज्ञानप्रकाश बलराम रामलाल, सत्यानाराया पिता मोडूलाल हिस्सा 7/12 मंजू देवी पत्नि शिवप्रसाद मांगधणा 1/12 जगदीश, प्रधान, रामेश्वर लाडा पिता लादू 1/6 गोपी नोसर परमा पिता चतुर्भुज हिस्सा 1/16 नाथु पुत्र बन्ना प्रेम पत्नि बन्ना हिस्सा 1/48 राहिन आई.सी.आई.सी.आई केकडी पन्ना बद्री रोडू पिता लादू रामकुंवरी पत्नि लादू हिस्सा 1/12 कौम जाति सा.देह खातेदार	448/2	0.028	
		किता 1	रकबा 0.028	
3	मंजू देवी पत्नि शिवप्रसाद मांगधणा सा.केकडी	445/2 448/6	0.054 0.027	
		किता 2	रकबा 0.0810	
4	जगदीश प्रधान रामेश्वर लाऊ पिता लादू हिस्सा 1/2 गोपी नोसर परमा पिता चतुर्भुज हिस्सा 3/16 नाथु पुत्र बन्ना प्रेम पत्नि बन्ना हिस्सा 1/16 राहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक केकडी पन्ना बद्री रोडू पुत्र लादू रामकुंवरी पत्नि लादू कौम जाट सा.देह खातेदार	448/1 444/1 448/4 445/3 448/7	0.04 0.076 0.057 0.020 0.146	
		किता 5	रकबा 0.439	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना –अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी,

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedur Code Appndix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम केकड़ी**

अन्तिम डिकरी

व इजलास श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

राजस्व वाद संख्या 82 / 2022 (2022 / 236)

1. सत्यनारायण पुत्र स्व. मोडूलाल जाति सोनी
2. बलराम पुत्र स्व. मोडूलाल जाति सोनी
3. ज्ञानप्रकाश पुत्र स्व. मोडूलाल जाति सोनी
4. [illegible]मलाल पुत्र स्व. मोडूलाल जाति सोनी

निवासीगण आदर्श कॉलोनी जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

––वादी

बनाम

1. गोपी पुत्र चर्तुर्भुज जाति जाट
2. नोसर पुत्री चर्तुर्भुज जाति जाट
3. परमा पुत्री चर्तुर्भुज जाति जाट
4. नाथु पुत्र बन्ना जाति जाट
5. प्रेम पत्नि बन्ना जाति जाट
6. जगदीश पुत्र लादू जाति जाट
7. पन्ना पुत्र लादू जाति जाट
8. प्रधान पुत्र लादू जाति जाट
9. वद्री पुत्र लादू जाति जाट
10. रामकुँवारी पत्नि लादू जाति जाट
11. रामेश्वर पुत्र लादू जाति जाट
12. रोडू पुत्र लादू जाति जाट
13. लाडा पुत्री लादू जाति जाट

    निवासीगण नायकी तहसील केकडी जिला अजमेर।

14. मंजूदेवी पत्नि शिवप्रसाद मॉगधडा जाति महाजन निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
15. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय केकडी जिला अजमेर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

––प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 53,92ए,209 राज0 काश्तकारी अधि0

दिनांक:– 28.9.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री नवल किशोर पारीक वकील वादीगण, व श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 व श्री शिवप्रसाद पाराशर वकील प्रतिवादी संख्या 14 व पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,92ए,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर स्थायी जमाबंदी के खाता संख्या नया–पुराना 168–279 के खसरा संख्या 444, 445, 448 रकबा 0.15, 0.16, 0.83हैक्टर कुल किता 3, कुल रकबा 1.14हैक्टर निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 18.7.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner